न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 207/2023 (178/2017)

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. सरूपाराम पुत्र राणाराम 2. देवाराम पुत्र राणाराम 3. तुलसाराम पुत्र राणाराम जाट निवासी–डउकियों की ढाणी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 543/2017 अनवान तहसीलदार, पचपदरा बनाम पीराराम वगैराह में दिनांक 22.05.2017 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30 जुलाई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डउकियों की ढाणी के ख0सं0 1876, 1871, 1989/1872, 1866, 2076/1982, 1863, 2077/1982, 1985/1864, 1984/1864, 2065/1990, 1912, 2014/1911 के खेत खसरान की खतोदारी की रकबा भूमि में मौके पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है परन्तु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के क्रम में उक्त रास्ते की भूमि विप्रार्थीगणों की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 22.05.2017 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम डउकियों की ढाणी के ख0सं0 1876, 1871, 1989/1872, 1866, 2076/1982, 1863, 2077/1982, 1985/1864, 1984/1864, 2065/1990, 1912, 2014/1911 के खेत खसरान की खतोदारी की रकबा भूमि में मौके पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है परन्तु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त खसरान में ख0सं0 1882 हैक्टर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की है, के दोनों तरफ पहले से कटाणी रास्ता चल रहा है तथा किसी नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, नोटिस दिये बिना ही प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया तथा उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ते का आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के जिस परिपत्र का उल्लेख अपीलाधीन आदेश में किया है, वह परिपत्र इस मामले में कतई लागू नहीं होता है एवं न इस तरह के परिपत्र से खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते है। राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की रूह में उक्त परिपत्र की कोई कानूनी अहमियत नहीं है, और न विकल्प बन सकता है। पटवारी हल्का ने अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट बनाकर पेश की एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन उसी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए आदेश पारित कर दिया तथा ख0सं0 1882 के बीचों बीच नक्शे में रास्ता दर्शाते हुए लाईन डाल दी। रास्ता प्राप्त करने हेतु राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रावधान अलग से दिये हुए है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलान्ट की खातेदारी का रकबा कम करने के तथा उसे गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो अनाधिकारपूर्ण है। साथ ही उक्त आदेश की पालना करने हेतु अधीनस्थ कार्मिकों को आदेश प्रसारित कर दिया है जो निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी की भूमि में से जो रास्ता घोषित किया है उसको निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम डउकियों की ढाणी के उल्लेखित खेत खसरान में सार्वजनिक स्थाई रास्ता चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत करने पर वादग्रस्त भूमि/प्रभावित खातेदारान को सुनवाई व अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है जबकि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 1882 की हद तक आंशिक निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2017 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 1882 की हद तक आंशिक निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए एवं अपीलान्ट के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष उक्त रास्ते को बन्द नहीं करे। निर्णय आज दिनांक 30 जुलाई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर